उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2
संख्या–3688(2)71–2–2016/81/2016
लखनऊ, दिनांक–23सितम्बर, 2016

समस्त छात्रों एवं निजी एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 कालेजों के प्रबन्धकों हेतु आवश्यक सूचना

निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेण्टल कालेजों के एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु डिनोवो प्रथम चक्र की काउंसिलिंग प्रक्रियाधीन है। काउंसिलिंग के दौरान छात्रों एवं अभिभावकों द्वारा फी स्ट्रक्चर के बारे में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। शासन द्वारा अन्तरिम ट्यूशन फीस निर्धारित किया गया है, परन्तु निजी कालेजों की वेबसाइट पर अद्यतन सूचना सही रूप से प्रदर्शित नहीं हो रही है। अतः निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेण्टल कालेजों के प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि छात्रहित एवं संगत आदेशों के अनुपालन मेंः–

(1) कालेज की वेबसाइट पर समस्त अनुमन्य/निर्धारित फीस अपडेट/प्रदर्शित करें।

(2) उक्त काउसिलिंग में आवंटन प्राप्त करने वाले छात्रों की सुविधा हेतु शनिवार/रविवार को कार्यालय खुला रखें जिससे कि प्रवेश प्रकिया सम्पन्न हो सके एवं छात्रों/अभिभावकों के प्रश्नों का जवाब सक्षम प्राधिकारियों द्वारा दिया जा सके।

(3) मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों की मंशानुसार शुल्क भुगतान इस प्रकार से किया जाय कि शिक्षा की व्यवसायीकरण परिलक्षित न हो। प्रबन्धकों से यह भी अनुरोध है कि अभिभावकों की आर्थिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न करायें।

(अरिन्दम भट्टाचार्य)
विशेष सचिव

संख्याः–3688(2)71–2–2016/81/2016, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष/प्रधानाचार्य, समस्त निजी मेडिकल एवं डेण्टल कालेज।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।

(अरिन्दम भट्टाचार्य)
विशेष सचिव